उत्तर प्रदेश सरकार
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-।
सं0-349/चौवालिस-।-84
लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, ।984

राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के अधिकारी

राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के प्रशासनिक अनुभाग

विषय :- सार्वजनिक उद्यमों/निगमों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के अधिकारियों को, शासन के अन्य क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों की भांति, मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों द्वारा वार्षिक प्रविष्टि दिये जाने की व्यवस्था।

शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के आदेश संख्या-36/10/1976-कार्मिक-2, दिनांक 8 दिसम्बर, 1983 एवं संख्या 36/3/1976,-कार्मिक-2, दिनांक 12 दिसम्बर, 1983 को कृपया संदर्भित करें।

2- राज्य सरकार के अधीन समस्त क्षेत्रीय स्तर/जिला स्तर के अधिकारियों को विभागीय प्रतिवेदक प्राधिकारियों के अतिरिक्त संबंधित मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों द्वारा भी अंकित किए जाने की व्यवस्था पहले से है। मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों द्वारा प्रसंगगत अधिकारियों को वार्षिक प्रविष्टि दिये जाने का मूलभूत उद्देश्य यह रहा है कि मण्डल/जिलास्तर पर शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों के उद्देश्यों का पूर्व समन्वय एवं उनका शीघ्र कार्यान्वयन/योजनाओं का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में समुचित सफलता मिले। उक्त प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि शासन के उपर्युक्त उद्देश्यों के कार्यान्वयन में अपेक्षित गतिशीलता एवं शीघ्रता लाने के दृष्टिकोण से ही शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सहकारी संस्थाओं आदि में स्वतंत्र रूप से राज्य की करोड़ों रुपये की पूंजी विनियोजित है। साथ ही बहुत से निगम/संस्थाएं ऐसी भी हैं जिनका सम्बन्ध जनता के हितों से है, जैसे राज्य विद्युत परिषद्, परिवहन निगम, भूमि विकास बैंक, आवास विकास परिषद्/प्राधिकरण, जल निगम/संस्थाएँ इतना ही नहीं अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के माध्यम से राज्य की विकास योजनाओं का कार्यान्वयन सम्पन्न होता है जैसे नलकूप निगम, निर्माण निगम, सेतु निगम आदि। अतएव इस पृष्ठभूमि में सार्वजनिक उद्यम विभाग में यह विचार किया जा रहा है कि राज्याधीन विभागों के अन्य क्षेत्रीय/सहकारी संस्थाओं/बैंकों आदि के उपर्युक्त श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियां अंकित करने का उत्तरदायित्व भी संबंधित मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को सौंपि जाने की क्या व्यवस्था की जाय। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दुओं के बारे में अपने सुविचारित अभिमत से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें :-

(।) शासकीय विभागों की भांति मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा मण्डल एवं जिला स्तर पर विद्यमान निगमों एवं अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को वार्षिक प्रविष्टि देने की व्यवस्था करने हेतु नीति विषयक तरीके से निर्णय लेना उपयुक्त होगा, अथवा एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव जारी किया जाय।

(2) इस मामले में किसी भी प्रकार का अंतिम निर्णय लेने से पूर्व क्या किसी स्टेच्यूटिरी प्राविधान में परिवर्तन करना आवश्यक होगा अथवा नहीं।

(3) इस प्रसंग में आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/संस्थाओं के कार्यकलापों/गतिविधियों के प्रकाश में प्रसंगाधीन प्रस्ताव पर सम्यक् विचार करके अपने सुझावों/विचारों से इस विभाग को लाभान्वित करने का कष्ट करें। इस मामले में कृपया अपेक्षित शीघ्रता का ध्यान भी रखा जाय।

सुशील कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव।